



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-178 राँची, मंगलवार, 18 फाल्गुन, 1942 (श०)
09 मार्च, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

22 फ़रवरी, 2021 ई०।

सं०सं०: 12/वि०उ०-08-01/2018 का.1106 -- राँची, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के अधीन कार्यरत आप्त सचिव, जिन्हें अकार्यात्मक ग्रेड वेतन वेतनमान- III, 15600-39100, ग्रेड वेतन-5400, पुनरीक्षित Level-10 प्राप्त है, को उनकी नियुक्ति की तिथि से 20/30 वर्षों की नियमित सेवा अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-2981/वि०, दिनांक-01.09.2009, संकल्प संख्या-1779/वि०, दिनांक-21.05.2014 एवं पत्रांक-361/वि०, दिनांक-08.02.2016 में निहित प्रावधानों एवं विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में एम० ए० सी० पी० योजनान्तर्गत उनके नामों के समक्ष कॉलम-5 एवं 6 में अंकित वेतनमान एवं तिथि से द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम/ विभाग GPF No	जन्मतिथि सेवानिवृत्ति तिथि	योगदान तिथि संपुष्टि तिथि	नियुक्ति की तिथि से 20 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के उपरांत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि	नियुक्ति की तिथि से 30 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के उपरांत तृतीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	
1.	श्री भूषण यादव, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची। PTS/PAR- 1360	<u>18.03.1960</u> <u>31.03.2020</u>	<u>01.08.1989</u> <u>01.05.1996</u>	पूर्व में विभागीय आदेश संख्या-134 दिनांक- 02.06.2010 के द्वारा एम०ए०सी०पी० के तहत वेतनमान-2, 9300-34800, ग्रेड वेतन- 5400/- में प्रदत्त द्वितीय एम०ए० सी०पी० को संशोधित करते हुए एम०ए०सी०पी० के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान-3, 15600- 39100, ग्रेड वेतन-6600 (पुनरीक्षित Pay Matrix Level-11) में दिनांक- 01.08.2009 के प्रभाव से	एम०ए०सी०पी० के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान-3, 15600- 39100, ग्रेड वेतन- 7600 (पुनरीक्षित Pay Matrix Level- 12) में दिनांक- 01.08.2019 के प्रभाव से।	
2.	श्री शंभु शरण प्रसाद, आप्त सचिव पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची। DBG/AJ/251	<u>15.09.1969</u> <u>30.09.2029</u>	<u>19.03.1999</u> <u>19.09.2001</u>	एम०ए०सी०पी० के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान-3, 15600- 39100, ग्रेड वेतन-6600 (पुनरीक्षित Pay Matrix Level- 11) में दिनांक- 19.03.2019 के प्रभाव से	-	

2. उपर्युक्त लाभों की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् हैं:-
- (क) उपर वर्णित पदधारकों की नियुक्ति तिथि से देय वित्तीय उन्नयन की तिथि तक नियमित सेवा सत्यापित रहने के उपरान्त ही स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण प्राशासी विभाग के द्वारा किया जायेगा।
- (ख) वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन के निर्धारण का सत्यापन योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची से होने के उपरान्त ही वित्तीय उन्नयन का लाभ देय होगा।
- (ग) प्रदत्त वित्तीय उन्नयन के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर प्रदत्त एम.ए.सी.पी. योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की एकमुश्त वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।
3. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमणों के दौरान संबंधित कर्मों के वेतन का निर्धारण प्राशासी विभाग द्वारा भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम 22 (i) (ए) (i) के प्रावधानों तथा इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन होगा। उपरोक्त वित्तीय उन्नयन संबंधी अनुशंसा पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
4. यह उत्क्रमण व्यक्तिगत है, जिसका उनकी पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। संवर्ग में कनीय कर्मों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान/ग्रेड वेतन प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मों को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतनमान/का संरक्षण देय नहीं होगा।
5. यह आदेश योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-2981/वि0, दिनांक-01.09.2009 एवं 1779/वि0 दिनांक-21.05.2014 एवं पत्रांक-361/वि0, दिनांक-08.02.2016 के परिपत्रानुसार प्रभावी होगा। इस योजना के लागू होने के पूर्व का बकाया अनुमान्य नहीं होगा।
6. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण के फलस्वरूप उच्चतर वेतनमान (वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन) के आधार पर संबंधित सरकारी सेवक सरकारी आवास का आवंटन, गृह निर्माण अग्रिम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, किन्तु राजकीय उत्सवों, अलंकरण समारोहों आदि के लिए वे अपने मौलिक वेतनमान के अनुरूप ही सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रेम कुमार राय,
सरकार के अवर सचिव।
